रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022024-252337
CG-DL-E-24022024-252337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945
No. 118]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 129(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आधीन भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रशासनिक अधिकारी	2*(2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 10 (56100-177500 रुपए)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति ।	**<u>प्रोन्नति :</u>** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और प्रशासन, स्थापना और लेखा में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। **टिप्पण 1 :** इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष की बनी रहेगी । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति :</u>** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुये हैं; या	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2. मंत्रालय में भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण के प्रभार भारधारक सलाहकार या संयुक्त सचिव – सदस्य 3. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. मंत्रालय में भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण के भारधारक सलाहकार या संयुक्त सचिव – सदस्य 2. निदेशक या उप सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – सदस्य; 3. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण – सदस्य	प्रोन्नति द्वारा पद को भरे जाने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 (53100-167800 रुपए) या समतुल्य में पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है; (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रुपए) या समतुल्य में पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है; (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपए) या समतुल्य में पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख)जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो : (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त संगठन या कानूनी संगठन में प्रशासन या स्थापना या लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.** - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्वय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

	टिप्पण 3. - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 01/12/2022-सीएसबी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2024

G.S.R. 129(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Administrative Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India (Administrative Officer) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrative Officer.	2* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level – 10. (Rs. 56100-177500/-).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion failing which deputation.	**<u>Promotion:</u>** Junior Administrative Officers in the pay level-7 (Rs. 44,900 - 1,42,400) of the pay matrix with five years regular service in the grade and successfully completed mandatory training of two to four weeks in Administration, Establishment and Accounts. **Note 1.–** The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of commencement of these rules. **Note 2.–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'A' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Advisor or Joint Secretary in-charge of Botanical Survey of India in the Ministry - Member; 3. Director, Botanical Survey of India –Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Advisor or Joint Secretary in-charge of Botanical Survey of India in the Ministry -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Conservation and Survey), Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member; 3. Director, Botanical Survey of India –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on promotion.

	<u>Deputation</u>: Officers of the Central Government or State Government or Union Territories: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent cadre or Department; or (iv) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following qualifications and experience; (i) Bachelor Degree from a recognised University or Institute; (ii) three years' experience in Administration or Establishment or Accounts work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Organisation or Statutory Organisation. **Note 1.–** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists will not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

	Note 2.– The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.–** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of the applications.		

[F. No. 01/12/2022-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA